न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : सुरेन्द्रसिंह पुरोहित, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 15/2021

प्रार्थीनी–

सुश्री सुशीला पुत्री पबाराम, जाति मेघवाल निवासी शास्त्री गांव (भू का पार) तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. कोरसिंह, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कुबड़िया पंचायत समिति गडरारोड़
2. हकिमा पुत्री कमाल खाँ जाति मुसलमान निवासी मणिहारी, उप सरपंच ग्रामा पंचायत कुबड़िया पंचायत समिति गड़रारोड़ ज़िला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 06.04.2021 को अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा अवैध रूप से कारित करवाया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री धनराज जोशी, अधिवक्ता प्रार्थीनी की ओर से उपस्थित।
2. श्री केसराराम विश्नोई, अधिवक्ता अप्रार्थी सं 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 02.08.2023

1. प्रार्थीनी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 06.04.2021 को उप सरपंच हकीमा की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत कुबडिया की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें सरपंच पिता को बैठक की दूरभाष पर सूचना दी गई जिसपर सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि मैं बाहर हूँ तब उप सरपंच की अध्यक्षता में मीटिंग आहूत की। उक्त बैठक के प्रस्ताव संख्या 01 में ग्राम पंचायत कुबड़िया कार्यालय भवन हेतु पट्टा जारी करने पर विचार विमर्श किया गया तथा ग्राम पंचायत द्वारा आहूत ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 20.08.2020, 05.09.2020 व 20.09.2020 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:20:14 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते
अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

निर्णय अनुसार ग्राम पंचायत कार्यालय भवन कुबडिया को पट्टा जारी करने हेतु गठित कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट, नजरीया नक्शा व पट्टा जारी करने की अनुशंषा प्राप्त होने एवं पंचायतीराज नियम 146 के तहत् आक्षेप आंमत्रित करने के नोटिस जारी करने के उपरांत तय मयाद तक कोई आक्षेप प्रस्तुत नहीं होने पर ग्राम पंचायत कुबडिया कार्यालय भवन हेतु पंचायती राज नियम 162 के तहत् सरकारी संस्थाओं को निःशुल्क पट्टा जारी करने का प्रस्ताव सर्वसहमति से पारित किया। प्रार्थीनी द्वारा इस प्रस्ताव के विरूद्ध को पारित करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नही किया जाना मानते हुए, उक्त प्रस्ताव की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण जरिये नोटिस जवाब एवं सुनवाई हेतु तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत कुबड़िया का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

3. प्रार्थीनी की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि प्रार्थीनी ग्राम पंचायत कुबड़िया, पंचायत समिति गडरारोड़ की सरपंच है जिसका चुनाव 22.01.2020 को हुआ था, तब से लेकर प्रार्थीनी लगातार ग्राम पंचायत कुबड़िया के सरपंच के पद पर आसीन रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है। अप्रार्थी सं. 01 व 02 ने आपस में षडयंत्र रच कर प्रार्थीनी को उसके अधिकारों से वंचित करने के लिए प्रार्थीनी को सूचित किये बिना अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए पंचायत की बैठक करना आरम्भ किया जिसका आभास होने पर प्रार्थीनी ने अप्रार्थी सं. 01 को बुलाकर चेतावनी दी कि आप सरपंच के अधिकारों में दखलंदाजी करने का प्रयास न करे, किन्तु अप्रार्थी सं. 01 अपनी कारगुजारियों से बाज नहीं आया। सर्वप्रथम दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:20:14 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

20.08.2020 को प्रार्थीनी की अनुमति के बिना बैठक बुला कर नवसृजित ग्राम पंचायत कुबड़िया की भूमि आवंटन पर विचार हेतु प्रार्थीनी की अनुमति के बिना बैठक बुलाकर तीन सदस्यों की कमेटी का गठन किया, तत्पश्चात् दिनांक 05.09.2020 को उपसरपंच की अध्यक्षता में बैठक आहूत कर तथाकथित अवैध मौका निरीक्षण की रिपोर्ट पर आक्षेप आंमत्रित करने का आदेश जारी किया। इसके पश्चात् दिनांक 20.09.2020 को अप्रार्थी सं. 01 ने उप सरपंच की अध्यक्षता में बैठक बुलाकर पूर्व में गठित अवैध कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार नियम 162 के तहत निःशुल्क पट्टा जारी करने का निर्णय लिया और अंत में दिनांक 06.04.2021 को पुनः प्रार्थीनी की अनुमति के बिना अप्रार्थी सं. 01 व 02 ने ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया और अप्रार्थी सं. 02 द्वारा बैठक की अध्यक्षता कर आलौच्य प्रस्ताव सं. 01 पारित किया जो विधि विरूद्ध होने से शुन्य है।

4. अधिवक्ता प्रार्थीनी ने यह भी प्रकट किया कि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 32(ख) के अन्तर्गत पंचायत की बैठक बुलाने, उक्त बैठकों की अध्यक्षता करने तथा उसे विनियमित करने का अधिकार केवल सरपंच को ही प्राप्त है। उप सरपंच केवल उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जो सरपंच या सरकार द्वारा उसे प्रत्यायोजित करे। हस्तगत प्रकरण में सरपंच का पद रिक्त करने का आदेश राज्य सरकार द्वारा घोषित नहीं किया गया है, ऐसी दशा में उप सरपंच को ग्राम पंचायत की किसी बैठक की अध्यक्षता करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। अधिनियम की धारा 45 के अन्तर्गत पंचायत की बैठक बुलाने का अधिकार केवल सरपंच को ही है तथा सरपंच के निर्देश पर ही ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत की बैठक बुला सकता है। इस प्रकार आलौच्य पट्टा जारी करने के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्णतः अवैध ए[illegible] है। साथ ही प्रार्थीनी के वैधिक अधिकारों का हनन [illegible] है। अतः प्रार्थीनी [illegible] निगरानी आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी [illegible] ग्राम पंचायत कुबड़िया के पंचायत भवन हेतु पट्टा जारी करने के संबंध में पारित प्रस्ताव सं. 01 दिनांक 20.

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:20:14 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

08.2020, 05.09.2020, 20.09.2020 तथा दिनांक 06.04.2021 को निरस्त किया जावें। इसके साथ ही ग्राम विकास अधिकारी कोरसिंह द्वारा की गई अवैध कार्यवाही के लिए उचित अनशासनात्मक कार्यवाही करने का आदेश प्रदान करावें।

5. रेस्पोडेन्ट सं. 02 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब में प्रकट किया कि प्रार्थीनी का सरपंच पद हेतु निर्वाचन अवश्य हुआ था परन्तु प्रार्थीनी सरपंच पद के कर्तव्यों का सही व विधिवत तरीके से निर्वहन नहीं कर पा रही है। प्रार्थीनी द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करने के कारण अप्रार्थी द्वारा नियमानुसार बैठक आहूत कर जन उपयोगी कार्य अर्थात नई ग्राम पंचायत के भवन निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता होने पर उच्च अधिकारीयों के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत के पक्ष में सही तरीके से पट्टा जारी किया है तथा उक्त पट्टे के आधार पर ग्राम पंचायत भवन का निर्माण किया जाकर वर्तमान में विधिवत रूप से ग्राम पंचायत का संचालन हो रहा है। प्रार्थीनी द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही नहीं करने पर जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर मनरेगा बाड़मेर द्वारा पंचायत विकास कार्य भी कमेटी द्वारा करवाया जाने का आदेश पारित किया गया है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 32 (2) में उप सरपंच की शक्तियों का वर्णन किया गया है तथा सरपंच की अनुपस्थिति मे उप सरपंच को सरपंच की सभी शक्तियॉ प्राप्त होगी तथा राज्य सरकार द्वारा उसे प्रत्यायोजित की गई है। इस प्रकार अप्रार्थी ने पंचायतीराज अधिनियम के तहत अपने में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यवाही की है, जो विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। पंचायतीराज अधिनियम की धारा 45 की उपधारा 5 के तहत सरपंच द्वारा बैठक बुलाने में असफल रहने पर [illegible] की पंचायत की बैठक बुलाने का अधिकार प्राप्त है और इसी अधिकार के तहत् अप्रार्थीगण द्वारा पंचायत की बैठक बुलाकर पट्टा जारी करने के संबंध में कार्यवाही की गई है जो विधिसम्मत है। अप्रार्थी द्वारा विधि में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:20:14 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

कार्यवाही की गई है जो प्रार्थीनी के अधिकारों का किसी प्रकार से हनन नहीं है। अतः प्रार्थीनी का निगरानी प्रार्थना–पत्र सारहीन व विधि विरूद्ध होने से ख़ारिज फरमाया जावें।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुना। प्रार्थीनी की ओर से अधिवक्ता ने प्रकट किया कि प्रार्थीनी ग्राम पंचायत कुबड़िया, पंचायत समिति गडरारोड़ की दिनांक 22.01.2020 से निर्वाचित सरपंच है तथा प्रार्थीनी लगातार ग्राम पंचायत कुबड़िया के सरपंच के पद पर आसीन रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है। अप्रार्थी सं. 01 व 02 ने आपस में षडयंत्र रच कर प्रार्थीनी को उसके अधिकारों से वंचित करने के लिए प्रार्थीनी को सूचित किये बिना अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए पंचायत की बैठक करना आरम्भ किया तथा आलौच्य प्रस्ताव सं. 01 दिनांक 20.08.2020, 05.09.2020, 20.09.2020 तथा दिनांक 06.04.2021 पारित करते हुए ग्राम पंचायत कुबड़िया के भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन का पट्टा जारी कर दिया। अधिवक्ता प्रार्थीनी का कथन हैं कि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 32(ख) के अन्तर्गत पंचायत की बैठक बुलाने, उक्त बैठकों की अध्यक्षता करने तथा उसे विनियमित करने का अधिकार केवल सरपंच को ही प्राप्त है। उप सरपंच केवल उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जो सरपंच या सरकार द्वारा उसे प्रत्यायोजित करे। हस्तगत प्रकरण में सरपंच का पद रिक्त करने का आदेश राज्य सरकार द्वारा घोषित नहीं किया गया है, ऐसी दशा में उप सरपंच को ग्राम पंचायत की किसी बैठक की अध्यक्षता करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। अधिनियम की धारा 45 के अन्तर्गत पंचायत की बैठक बुलाने का अधिकार केवल सरपंच को ही है तथा सरपंच के निर्देश पर ही ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत की बैठक बुला सकता है। इस प्रकार आलौच्य पट्टा जारी करने के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्णतः अवैध एवं शुन्य है। इस सम्बन्ध में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम की धारा 32(ख) का अवलोकन किया जो निम्न प्रकार है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:20:14 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

32. सरपंच और उप–सरपंच की शक्तियॉं, कृत्य और कर्तव्य :– (1) सरपंच –
(क) ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए उत्तरदायी होगा और ऐसी बैठक की अध्यक्षता करेगा ;
(ख) पंचायत की बैठक बुलाने के लिए उत्तरदायी होगा और ऐसी बैठकों की अध्यक्षता करेगा और उन्हें विनियमित करेगा ;
(ग) ......

इसी प्रकार अधिनियम की धारा 45 का भी अवलोकन किया जो निम्न प्रकार है :–

45. पंचायत की बैठके :–
(1) ....
(2) सरपंच, जब कभी वह उचित समझे, बैठक बुला सकेगा, और सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून के लिखित निवेदन पर ऐसे निवेदन की प्राप्ति से पन्द्रह दिन के भीतर–भीतर के किसी भी तारीख को, बुलायेगा।
(3) ....
(4) ....
(5) यदि सरपंच उप–धारा (2) में यथा–उपबंधित विशेष बैठक बुलाने में विफल रहे तो, उप–सरपंच या उसकी अनुपस्थिति में, सक्षम प्राधिकारी उसके पश्चात् के पन्द्रह दिन से अनधिक के किसी दिन को ऐसी बैठक बुला सकेगा और सचिव से सदस्यों को नोटिस देने और ऐसी कार्रवाई करने की अपेक्षा कर सकेगा, जो बैठक करने के लिए आवश्यक हो।

हस्तगत प्रकरण में अधिनस्थ ग्राम पंचायत के आलौच्य अभिलेख के अवलोकन से पाया जाता है कि सर्वप्रथम दिनांक 20.08.2020 को ग्राम पंचायत की बैठक उप–सरपंच श्रीमती हकीमा की अध्यक्षता मे आयोजित हुई है। इस बैठक के आयोजन हेतु सरपंच की अनुपस्थिति एवं सदस्यों को पन्द्रह दिवस पूर्व सूचित किये जाने का कोई साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर मनरेगा बाड़मेर के कार्यालय आदेश दिनांक 04.05.2021 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें विकास अधिकारी की रिपोर्ट पर ग्राम पंचायत कुबड़िया द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत् स्वीकृत कार्यों को आरम्भ नहीं किये जाने से [illegible] पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 33 की व्यवस्था के अनुरूप एक [illegible] सदस्य कमेटी का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त [illegible] ग्राम पंचायत कुबड़िया द्वारा ग्राम पंचायतों की बैठकों के आयोजन में विफल रहने अथवा उसकी अनुपस्थिति

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:20:14 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

के बाबत् कोई विधि सम्मत आदेश, नोटिस अथवा सक्षम प्राधिकारी की ओर से अप्रार्थी सं. 01 व 02 को आलौच्य कार्यवाही सम्पन्न करने बाबत् कोई शक्तियॉ प्रत्यायोजित किया जाना नहीं पाया ज़ाता है। जैसा कि अधिनियम की धारा 32 (ख) का उद्धरण उपर वर्णित किया गया है, ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने का दायित्व सरपंच को ही प्राप्त है तथा सरपंच द्वारा धारा 45 (2) के तहत् बैठक बुलाने में विफल रहने पर उप सरपंच को धारा 45 (5) के तहत् बैठक बुलाने का अधिकार प्रदत है। इस प्रकार आलौच्य समस्त कार्यवाही अधिनियम की धारा 32 (ख) में विहित सरपंच के दायित्वों एवं कर्तव्यों के अतिलंघन में धारा 45 (5) की परिस्थितियों को उल्लेखित किये बिना किया जाना पाया जाता है। लिहाजा अप्रार्थी सं. 01 व 02 द्वारा सम्पन्न की गई बैठक दिनांक 20.08.2020, 05.09.2020, 20.09.2020 तथा दिनांक 06.04.2021 द्वारा पारित प्रस्ताव सं. 01 में लिया गया निर्णय वैधता एवं अनियमितता की कसौटी पर नियम विरूद्ध होने से निरस्त योग्य हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीनी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 01 व 02 द्वारा ग्राम पंचायत कुबड़िया के पंचायत भवन हेतु पट्टा जारी करने के संबंध में पारित प्रस्ताव सं. 01 दिनांक 20.08.2020, 05.09.2020, 20.09.2020 तथा दिनांक 06.04.2021 को निरस्त किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 02.08.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(सुरेन्द्रसिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:20:14 IST
Reason: SelfAttested